प्रेस नोट

जनपद – सोनभद्र

दिनांक – 19.10.2025

थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस, एसओजी व आबकारी विभाग की सयुक्त टीम द्वारा दो कंटेनर वाहनों सहित लगभग ₹3.50 करोड़ (साढ़े तीन करोड़ रुपए मूल्य) के प्रतिबंधित नशीले कफ सिरप (ESKUF COUGH SYRUP) की बड़ी खेप बरामद, तीन अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक **सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा** द्वारा जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, **अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) सोनभद्र** श्री अनिल कुमार एवं **क्षेत्राधिकारी नगर** श्री रणधीर कुमार मिश्रा के पर्यवेक्षण में, **थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस व एसओजी** तथा **आबकारी विभाग सोनभद्र** की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 18.10.2025 को समय करीब 18.30 **बजे**, पुलिस लाइन चुर्क मोड़ से लगभग 300 मीटर पहले **वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग** पर दो कंटेनर वाहनों (RJ11GC1710 एवं MH46AR6826) से कुल 399 **प्लास्टिक की बोरियों** में भरी **प्रतिबंधित नशीली औषधि** ESKUF COUGH SYRUP (100 ml) की **कुल 1,19,675 शीशियां** बरामद की गईं, जिनकी कंटेनर सहित अनुमानित कीमत लगभग **₹3.50 करोड़ (साढ़े तीन करोड़ रुपये)** आंकी गई है। मौके पर बुलाए गए **ड्रग निरीक्षक** द्वारा जांच करने पर पुष्टि की गई कि उक्त सिरप में **कोडिन** (Codeine) नामक प्रतिबंधित नशीला पदार्थ पाया गया, जो **एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत निषिद्ध औषधि** की श्रेणी में आता है। **उक्त बरामदगी के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मु0अ0सं0** 1054/2025, धारा 319(2), 318(4) **भारतीय न्याय संहिता** व 8/21 **एनडीपीएस एक्ट**,का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वाहनों के कागजात प्रस्तुत न किए जाने पर दोनों वाहनों को **धारा 207 एमवी एक्ट** के अंतर्गत **ई-चालान कर सीज** किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. **हेमन्त पाल** पुत्र रामहेत पाल, निवासी 718क, वार्ड नं० 16, अरविन्द वार्ड, शिवपुरी, थाना कोतवाली, जनपद शिवपुरी (म.प्र.)
2. **ब्रजमोहन शिवहरे** पुत्र स्व० मुन्नालाल शिवहरे, निवासी 202 सत्यम अपार्टमेंट, इंगले की गोठ, माधवगंज, लक्खड़खाना, थाना माधवगंज, जनपद ग्वालियर (म.प्र.)
3. **रामगोपाल धाकड़** पुत्र बृजमोहन धाकड़, निवासी मोहना, थाना मोहना, जनपद ग्वालियर (म.प्र.), उम्र लगभग 55 वर्ष

वांछित अभियुक्त का विवरण –

राम (पता अज्ञात), मोबाइल नं. 7085508584 – जिसने झारखंड में माल खाली कराने का लोकेशन देने एवं माल लोड कराने का कार्य किया।

पूछताछ का विवरण –

कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों ने बताया कि वे गाजियाबाद से झारखंड तक **नमकीन व चिप्स के कार्टन** के बीच **प्रतिबंधित नशीला सिरप** छिपाकर ले जा रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि झारखंड पहुंचने पर उनका साथी "**राम**" (मोबाइल नं. 7085508584) उन्हें माल खाली कराने का स्थान बताने वाला था। उक्त व्यक्ति द्वारा ही दोनों कंटेनरों पर नमकीन के डिब्बों के बीच ESKUF COUGH SYRUP की खेप छिपाकर भेजी गई थी।

बरामद बोरी खोलकर चेक करने पर उनमें LABORATE PHARMACEUTICAL INDIA LTD. (31 Rajban Road, Nariwala, Paonta Sahib, H.P.) कंपनी निर्मित ESKUF COUGH SYRUP 100 ml की 399 बोरियों में कुल 4787 **छोटे कार्टून** पाए गए, जिनमें 119675 **शीशियां** बरामद हुई।

बरामदगी का विवरण-

- 399 बोरियों में कुल 4787 **छोटे कार्टून** में कुल 1,19,675 शीशियां (ESKUF COUGH SYRUP 100 ml) -अनुमानित कीमत लगभग ₹3.0 करोड़ ।
- वाहन – 02 कंटेनर (RJ11GC1710 एवं MH46AR6826) -अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख ।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. **प्र0नि0 श्री माधव सिंह मय हमराय थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र ।**
2. **एसओजी प्रभारी राजेश जी चौबे मय हमराय जनपद सोनभद्र ।**
3. **उ0नि0 श्री उमाशंकर यादव चौका लोढ़ी थाना रॉबर्ट्सगंज** मय हमराह हे0का0 अभिमन्यु यादव।
4. **उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव** चौकी चुर्क थाना रॉबर्ट्सगंज मय हमराह हे0का0 अमरजीत यादव।
5. **आबकारी निरीक्षक क्षेत्र प्रथम** – विनोद कुमार साव, **आबकारी निरीक्षक क्षेत्र द्वितीय** – रविनन्दन, **आबकारी निरीक्षक क्षेत्र तृतीय** – अमित कुमार हमराहीगण – हे0का0 लल्लन प्रसाद, का0 आशीष यादव, का0 विपिन यादव, का0 धर्मेन्द्र सिंह ।

जनपद पुलिस का यह अभियान मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध पुलिस की प्रतिबद्धता एवं सतर्कता का प्रमाण है।